



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/DEV-2658/JH/94/2024-ESDW

श्री संदीप कुमार, (आई. ए. एस.)

उपायुक्त,
जिल - लातेहार,
समाहरणालय भवन,
कार्यालय उपायुक्त,
लातेहार, झारखंड -829206
dc-lat@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक 18 मई, 2026 को 11:00 पूर्वाह्न बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1 (i) कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड बना लातेहार के द्वारा मैनपावर (चकला) कर्मचारियों के अधिकारों के हनन एवं परिसंपत्तियों का दोहन करने के संबंध में श्री चन्द्रदेव उरांव, ग्रामदामोदर-,पोस्टदामोदर-,थानाचंदवा-, जिलालातेहार-,झारखंड-829203 से दिनांक 07.02.2024 का अभ्यावेदन।
- (ii) एनसीएसटी सीटिंग दिनांक 05.08.2025
- (iii) उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार, पत्रांक 1348/सा० दिनांक 11.10.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 08/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

